

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021- 318

प्रेषक,

सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 27.02.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय अनुपूरक के आगणन से राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में बिहार राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिये वर्ग-1 से 10 तक के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति मद में ₹3,00,00,000 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत ।

2- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के राज्य स्कीम मांग सं०-44 आय-व्यय शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष 0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-44-2225022770101 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4- छात्रवृत्ति की राशि बिहार कोषागार संहिता-2011 के प्रपत्र BTC-43 पर निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण करेंगे। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।


5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अर्न्तगत है।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021 के पृ०-110/टि० पर प्राप्त है।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यप्रज्ञ के आदेश से,


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021- 318 पटना, दिनांक-27.02.2026
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त
विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला
पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।
27.02.26


ज्ञापांक- सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021- 318 पटना, दिनांक- 27.02.2026
प्रतिलिपि:- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला
कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।
27.02.26

ज्ञापांक- सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021- 318 पटना, दिनांक- 27.02.2026
प्रतिलिपि:-निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा०-5(निदे०)/आई० टी०
मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।
27.02.26

ज्ञापांक- सं०-5/निदे०-(प्री मैट्रीक)-11-01/2021- 318 पटना, दिनांक- 27.02.2026
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।
27.02.26